सं० ओ०वि०/हिसार/117-86/32945.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० आदमपुर सहकारी कृषि विकास बैंक समिति, मण्डी आदमपुर (हिसार), के श्रमिक श्री भाल सिंह, सुपुत्र श्री बीरबल मार्फत मजदूर एकता यूनियन, नागोरी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री भाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 11 सितम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/यमुना/130-86/33490.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० पोली प्लास्टिक, औद्योगिक क्षेत्र, ओ/15, यमुनानगर, के श्रमिक श्री तेग सिंह, सुपुत्र श्री शेर सिंह, गांव व डा० कम्बासी, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री तेग सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से पूर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 12 सितम्बर, 1986

सं०ओ०वि०/एफडी/गुड़गांव/78-86/33609.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोड़वेज, गुड़गांव के श्रमिक श्री विजेन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री सोहन सिंह, गांव व डा० पटोदा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री विजेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?